न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्याः–423/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00379)

1. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण,
2. मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण,
3. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण,
4. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण,
5. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी स्व. श्री बद्रीनारायण, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम नाभावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 09.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर प्रथम जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने एक अपील तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.1982 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 264 ग्राम नाभावाला से असंतुष्ट होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि ग्राम नाभावाला तहसील जवामरागढ जिला जयपुर स्थिति कृषि भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 137 बीघा 11 बिस्वा किस्म सिवायचक में से 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन नियमानुसार दिनांक 09.05.1973 को तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है, अपीलाधीन भूमि का नामान्तरकरण खोलने के आवेदन पर तत्कालीन राजस्व अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग कर स्वीकार शब्द के आगे ''अ'' शब्द जोड़कर तत्कालीन तहसीलदार जमवारामगढ से कैम्प डांगरवाडा में अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकार करवा दिया, उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण स्वीकार होने के पश्चात की गई है, जो प्रथम दृष्टया ही न्यायसंगत नही है तथा तत्कालीन पटवारी ने अपीलान्ट के पिता को उनके विधिक अधिकारों से महरूम रखने की गरज से एवं अनपढ ग्रामीण परिवेश का होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकार करवा दिया। उन्होने कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि का आवंटन आदिनांक तक किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया तथा भूमि का आवंटन वर्ष 1973 है जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही वर्ष 1982 में की गई थी तथा तत्कालीन राजस्व अधिकारी नाभावाला द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटी को आवंटित भूमि की किस्म सिवायचक से खातेदार/गैर खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी जिसे राजस्व अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जमाबन्दी संम्वत 2036 से 2039 एवं 2041 से 2044 तक में भी कांट–छांट की गई है एवं अपीलाधीन नामान्तरकण में भी बदनीयति से कांट–छांट करके

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया है, अपीलान्ट के पूर्वज अपीलाधीन भूमि पर काबिज काश्त रहे है और उनके देहान्त के बाद अपीलान्ट निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया था कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 264 की सत्य प्रतिलिपि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार कार्यालय से पृथक–पृथक प्राप्त की गई है उक्त दोनों ही प्राप्त प्रतिलिपियों में भिन्नता है, हल्का पटवारी से प्राप्त नकल में कांट–छांट अधिक है, विधि अनुसार दोनो नामान्तरकरण समान होने चाहिये थे, इस कानूनी तथ्य को भी अधीनस्स्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि विधान के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि मौके पर कब्जा की जांच नही की गई इस प्रकार विवादित नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य होते हुऐ भी उसको बहाल रखने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं तथ्यात्मक गंभीर भूल की है इसलिये अपीलाधीन आदेश एवं विवादित नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट का आराजी जैर कृषि भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त रहा है और स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण में ''अ'' शब्द अंकित कर अस्वीकृत लिखा गया है जो बाद में अंकित किया हुआ प्रतीत होता है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को कतई नही थी, इस बाबत अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें ठोस तथ्य अंकित किये थे एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त से यह स्पष्ट है कि अविधिक आदेश के निर्णय को चुनौती देने में समय की कोई बाध्यता नही होती है, वह प्रारम्भ से ही शून्य होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम कानूनी तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश/निर्णय दिनांक 25.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर को खारिज फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 264 दिनांक 10.07.1982 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर कोई भी उपस्थित नही तथा उनके ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि नामान्तरकरण संख्या 264 ग्राम नाभावाला अलॉटमेन्ट दिनांक 09.05.1973 के अनुसार खोला गया है लेकिन अपीलान्ट आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही करने तथा आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नही होने से अस्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध आवंटी के वारिसान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असाधारण विलम्ब से लगभग 35 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलान्ट द्वारा ऐसे कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उक्त असाधारण विलम्ब को कण्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2017 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।